राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	634/2018 **राजेन्द्र कुमार** **बनाम** **सत्यनारायण** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 635/2018 **विजय कुमार** **बनाम** **सत्यनारायण**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 634/2018 एवं 635/2018 में इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दोनों पत्रावली पर ईकजाई रूप से सुनी गयी। अत: पत्रावलीयां निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 07/04/2026 को पेश हो।	
7/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली राजस्व कैम्प हरमाड़ा में नियत कर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 19/04/2018 पारित करते हुये तहसीलदार आमेर को विवादित खाता संख्या नया 211 पुराना 205 के खसरा नम्बर 16 वाके ग्राम हरमाड़ा तहसील आमेर के निहित खातेदारान के निहित खातेदारी हिस्सनुसार उनके कब्जे को प्राथमिकता देते हुये उभयपक्षों की उपस्थिति में नियम 18 से 21 राजस्व नियम को ध्यान में रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 19/04/2018 के विरुद्ध पृथक-पृथक पक्षकारान द्वारा अपील संख्या 634/2018 एवं 635/2018 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दोनों पत्रावलीयो पर ईकजाई रूप से सुनी यी। चूँकि दोनों अपीले समान प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे उभयपक्षों की ईकजाई बहस समायत की गयी है। अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से दोनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों का अनुसरण करते हुये प्रश्नगत भूमि के सन्दर्भ में दर्ज हिस्से अनुसार उनके कब्जे को प्राथमिकता देते हुये उभयपक्षों की उपस्थिति में नियम 18 से 21 की पालना करते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश प्रदान करते हुये प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	634/18 राजेन्द्र कुमार बनाम सत्यनारायण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 635/18 विजय कुमार बनाम सत्यनारायण	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

होती है | सहखातेदार के मध्य विभाजन एक अनिवार्य एवं आवश्यक प्रक्रियां है, जिसे अपीलार्थीगण द्वारा उठाये गये तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर अनावश्यक रूप से लम्बित रखा जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है | ऐसी स्थिति में अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित एवं विधिसम्मत नही समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 19/04/2018 यथावत रखे जाकर दोनों अपीले क्रमश : 634/2018 एवं 635/2018 ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 07/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर